भारत : विश्व स्तनपान सप्ताह (अगस्त 1–7, 2013)

'सफल स्तनपान के लिए मां और शिशु की सहायता'

अगर चाहें सफल स्तनपान
घर–घर लायें अनुकुल प्राविधान

WORLD BREASTFEEDING WEEK 1-7 AUGUST

bpni
putting child nutrition at the forefront of social change

IBFAN
defending breastfeeding

'सफल स्तनपान के लिए मां और शिशु की सहायता'

यह कहाँ हो सकता है ?

प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी द्वारा नियमित रूप से माँ और समुदाय के साथ संपर्क, स्तनपान के सफलता में कारगर साबित होगा। गर्भवती महिलाओं और जन्म के समय से दो साल तक के बच्चों को नियमित रूप से स्वास्थ्यकर्मीयों के सहायता की आवश्यकता होती है। प्रसव के लिए चिकित्सालय में चिकित्सक, स्टॉफ नर्स, एल.एच.वी और ए.एन.एम. सभी को बातचीत करना, परामर्श देना व सहायता करना होगा। इसके साथ–साथ घर–परिवार में जाकर आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को घात्री माँ व शिशु को स्तनपान कराने में सहायता करनी पड़ेगी। ऑगनबाड़ी केन्द्र पर या ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर सत्र के दौरान भी माताओं को जानकारी दी जा सकती है और मां व शिशु को स्तनपान कराना सीखाया जा सकता है। प्रत्येक माताओं से समुदाय में बच्चों की देखभाल करने वालों के लिए घर जाकर व अलग–अलग कौशलता पूर्ण सलाह देने को सर्वोतम माना गया है। स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में स्तनपान शिशु आहार परामर्श के अलावा स्वास्थ्य कर्मीयों को माताओं से व्यवसायिक शिशु आहार से दूर रहने के लिए वैज्ञानिक जानकारी देनी चाहिए।

माताओं की स्तनपान में सहायता कौन–कौन करा सकता है ?

चिकित्सा अधिकारी, स्टॉफ नर्स, एल.एच.वी., ए.एन.एम. आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, माता समूह, पति या अन्य महिला या परिवारिक सदस्य व कार्यस्थल पर तैनात प्रशिक्षित कार्यकर्ता इत्यादि।

पृष्टभूमि :

सभी देशों मे स्तनपान को बढ़ावा देनें के लिए स्तनपान की सुरक्षा सम्बन्धी अंर्तराष्ट्रीय कोड को एक ''न्यूनतम'' मानक के रूप में 1981 में अपनाया गया। कोड की प्रस्तावना बताती है कि ''माँ के दूध के विकल्प के रुप में शिशु के लिए कृत्रीम दूध को बेचने के लिए बेहद सावधानी की आवश्यकता होती है, अन्य चीजों को बेचने के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया कृत्रीम दूध के व्यवसाय के लिए सवर्था अनुचित है। विपणन हेतु एक विशेष प्रशोधन है जिसके तत्पश्चात् इन उत्पादों का सामान्य विपणन अनुपयुक्त है। इसी आधार पर भारतीय संसद द्वारा शिशु दूध विकल्प, दूध की बोतल और शिशु खाद्य पदार्थ (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विधिनियमन) अधिनियम 1992 तथा 2003 संशोधित अधिनियम जो कि कृत्रीम शिशु आहार उद्योग से स्तनपान की सुरक्षा हेतु बोतलें और शिशु खाद्य पदार्थ की उत्पाद, आपूर्ति और शिशु दूध के विकल्प के व्यवसाय को नियंत्रित करने लिए कानून व नियमों को पारित किया। अधिनियम भारत की सभी माताओं को व्यवसायिक और पक्षपाती जानकारी से परे सटीक जानकारी प्रदान करता है। 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत भारत सरकार सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यरत महिलाओं को कम से कम बारह हफ्तों का सवेतन अवकाश प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के रूप में एक सकारात्मक योजना चलाई गयी है, जिसके तहत् मजदूरी करने वाली महिलाओं को कुछ नगद अनुदान प्रदान किया जाये जिससे कि माँ शिशु के करीब रहे और स्तनपान जारी रख सके।

शिशु और युवा बच्चों के खान–पान संबंधी वैश्विक रणनीति 2002 में डब्ल्यू.एच.ओ. और यूनिसेफ द्वारा शुरू की गई जिसके आधार पर भारत में बच्चों के इष्टतम विकास, और स्वास्थ्य हेतु शिशु और छोटे बच्चों के खान–पान हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किये गये। साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''स्तनपान के तरीकों में सुधार, शिशु और छोटे बच्चों के खान–पान हेतु'' दिशा निदेर्श 2013 में जारी किये है।

भारत में समर्थन कितना करीब ?

विश्व स्तनपान रूझान पहल (डब्ल्यू.बी.टी.आई.) द्वारा 2002 में शिशु एवं छोटे बच्चों के पोषण नीति और कार्यक्रम मापकों का आकलन किया गया जिसमें पाया गया कि पिछले दो दशकों से शिशु और छोटे बच्चों के खान–पान प्रथाओं में कोई वृद्धि नहीं देखी गयी, जो कि अत्यन्यत निराशाजनक स्थिति है। इसका कारण है भारत में उपरोक्त सभी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में भौतिक प्रगति नहीं हो पायी है। इसी कारण स्तनपान दरों में बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है।

हमारी प्रणाली वाणिज्यिक उद्योगों द्वारा शिशु आहार के आक्रामक प्रचार को रोकने में अपेक्षित रुप से सफल नहीं हो पायी है। समुदाय व कार्यस्थल में मातृत्व हक व शिशु सदन की कमी भी इस तरह की कार्यवाही नहीं होने के लिए जिम्मेदार है। माताओं के लिए जानकारी का अभाव, शिशुओं के खान–पान से संबंधित कुशल सलाह का अभाव, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल तथा स्वास्थ्य कर्मीयों में स्तनपान के दौरान होनें वाली कठिनाईयों की जानकारी का अभाव स्तनपान दरों में कमी के मुख्य कारण है।

महिलायें अक्सर सही जानकारी एवं समर्थन के अभाव में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध जोखिम भरे खान–पान की तरफ आसानी से प्रभावित हो जाती है। अतः स्तनपान कराने हेतु महिलाओं और बच्चों को उचित व्यक्तिगत और सुसज्जित सहायता के लिए एक प्रशिक्षित सलाहकार की उपलब्धता बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए परिवार, समाज, कार्यस्थल, अस्पताल और न्याय विभाग से पर्याप्त समर्थन अपरिहार्य है। प्रत्येक स्तर अपने आप में महत्तवपूर्ण है। विश्व स्तनपान के इस वर्ष का विषय स्तनपान दरों में बढ़ोतरी हेतु विशेष रूप से महत्तवपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में परिवार, समुदाय और चिकित्सालयों के सदस्यों से एवं सलाहकारों के परामर्श पर जोर देता है।

विश्व स्तनपान सप्ताह – 2013 के उद्देश्य :

1. जनमानस को माताओं व बच्चों के उपयुक्त खानपान बनाए रखने हेतु प्रेरित करना।
2. समुदाय तथा सरकार को महिलाओं द्वारा हर स्तर पर पर स्तनपान कराने और इसे सफल बनाने के लिए सहायता की आवश्यकता हेतु जागरूक करना।
3. सभी गाँवों में ललितपुर (उत्तर प्रदेश) की तरह एक व्यवस्थित माता समूह नेटवर्क बनाने और बनाए रखने जैसा अभ्यास मॉडल साझा करना।
4. जन–प्रतिनिधियों और सरकार से स्तनापन की सफलता के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य/पोषण सलाहकारों की तैनाती हेतु अपील करना।
5. विश्व स्तनपान सप्ताह 2013 के विषय को लागू करने के लिए समाज की सहभागीता सुनिश्चित करना ।

मेरी स्तनपान की कहानी।

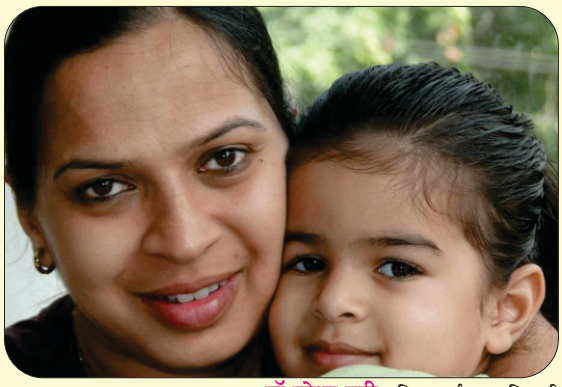

डॉ शोभा सूरी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी

जब मेरी बेटी (अहाना) का जन्म हुआ तो मुझे स्तनपान कराने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मेरे स्तनों में दूध भर जाने के तथा प्रसव के दौरान शल्य क्रिया के कारण अत्यधिक दर्द था। मुझे अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मीयों से बहुत मदद नहीं मिली और मैं अपने बच्चे को स्तनपान कराने में सक्षम नहीं होनें के तनाव से अपने को दोषी मान रही थी। मेरी बेटी के जन्म के तीन दिन बाद मेरी एक मित्र का बधाई फोन आया तब मैनें उसे अपना दुःखबयान किया। मेरी मित्र ने बतया कि मैं अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हूँ। उसनें बताया कि प्रसव के उपरान्त हुए दूध के कारण स्तनों के कड़ापन को गर्म पानी से सेंक कर तथा बच्चे को बार–बार स्तनपान कराकर दूर कर सकती है। अभी भी स्तनापन विषय में प्रशिक्षित सलाकारों की थोड़ी सी सहायता से मैं स्तनपान का लाभ अपने बच्चों को दे सकती हूँ। उसने मुझे बी.पी.एन.आई. के बारे में बताया जहाँ से मुझे सही जानकारी व सलाह मिली। आज मैं अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही हूँ। कठिन परिस्थिति में समर्थन और मदद के लिए मैं अपने दोस्त की अभारी हूँ। अब मैं एक प्रशिक्षित कर्मी का समर्थन मिलने पर काफी सशक्त महसूस करती हूँ।

घर बैठे स्तनपान–सहायता का सूत्र : ललितपुर की सफलता की कहानी –

बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, उ0प्र0 ने ललितपुर जिलें में शिशु सामुदायिक स्वास्थ्य को अवधारण एवं क्रियान्वित किया। नवम्बर 2006 में इस प्रोजेक्ट की स्थापना हुई जिसके अंतर्गत 6 ब्लाकों (बिरधा, जखौरा, तालबेहट, मडावरा, मेहरौनी एवं बार) के 951 आई.सी.डी.एस. गॉवों को चरणबद्ध ढंग से स्तनपान सहायता के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट का वृहत्त उद्देश्य शिशु एवं छोटे बच्चों में वैज्ञानिक खान–पान शैली को बढ़ावा देनें के लिये एक जिला स्तर का मॉडल तैयार करना था जिसे आई.सी.डी.एस. एवं एन.आर.एच.एम. कार्यक्रमों के द्वारा विस्तरित किया जा सके। प्रोजेक्ट के लागू करने से बच्चों के टीकाकरण, बेहतर बृद्धि निगरानी एवं स्तनपान सहयोग द्वारा जन्म से दो वर्ष के बच्चों के पोषण की बढ़ोत्तरी हुई। प्रोजेक्ट में केन्द्रभूत एवं सामुदायिक दोनो प्रकार की रणनीति अपनाई गयी। मुख्य घटक के रूप में एक कुशल माता समूह जिसमें गॉव की ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, ऑगनबाड़ी सहायिका या एक कुशल माँ शामिल है। माता समूह पहले से समुदायों में काम कर रहे अन्य समूहों के साथ गृहस्तर पर उपयुक्त स्तनपान एवं अनूपूरक खानपान को बढ़ावा देनें के लिये कार्य करता है। ब्लाक स्तर पर कार्यकर रहे मध्य श्रेणी के प्रशिक्षक, परामर्शदाता की तरह ऑगनबाड़ी कार्यकत्री या अन्य कर्मियों को सही दिशा निर्देश देते हैं एवं माता समूहों को कार्यक्षेत्र में सहयोग देते है।

मध्य श्रेणी के प्रशिक्षकों ने माता समूहों को प्रशिक्षित किया, विशेषतर माताओं को दूध बनने की प्रकिया एवं उसके निकास की विधि, शुरूआती दूध/खीस के मिलने के लिये जल्दी स्तनपान का महत्तव, सही स्तनपान स्थिति एवं पूर्ण स्तनपान इत्यादि के बारे में जानकारी एवं सुझाव दिये गए। इस हस्तक्षेप द्वारा समेकित बाल विकास कार्यक्रमों के अर्न्तगत आंगनबाड़ी केन्द्रों में 951 माता समूह बनाये गये। हर माता समूह में तीन सदस्य थे, जिनको 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। पूरे ललितपुर में इस प्रकार 2853 प्रशिक्षित माता समूह सदस्य उपलब्ध थे।

ग्रामस्तरीय परामर्शदाताओं के होनें के वजह से ललितपुर में स्तनपान दरों में सराहनीय तेजी आयी है। जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करने की दर 10.6 प्रतिशत (2006) से 62 प्रतिशत (2011) तक बढ़ गयी।

प्रथम छः माह तक सिर्फ स्तनपान की दर 6.6 प्रतिशत (2006) से 60 प्रतिशत (2011) हो गयी। गाढ़ा एक सार पूरक अहार (6 – 8 माह की उम्र में) देने की दर 53.8 प्रतिशत (2006) से 95 प्रतिशत (2011) हो गयी। ये दरें उत्तर प्रदेश की औसत दरों से काफी ऊपर हैं।

इस प्रोजेक्ट से गॉव स्तर पर आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, ग्रामीण महिलाओं एवं ए0एन0एम0 में वास्तविक समन्वय दिखाई दे रही है। प्रशिक्षकों एवं ग्राम स्तर के परामर्शदाताओं में अच्छी इच्छाशक्ति दिखाई दे रही है जिससे दोषपूर्ण शिशु आहार के कारण हो रहे कुपोषण को काफी हद तक रोका जा सकेगा।

श्री बी.एल.गुप्ता, डी.पीओ. इन्चार्ज ललितपुर के अनुसार – हमने ललितपुर में कुपोषण रोकने के लिये इस प्रोजेक्ट से मदद ली। हमारे बच्चे भला क्यों कुपोषण के खतरे से प्रभावित रहे ? क्यों न इसे बिल्कुल शुरूआत में ही रोक दिया जाये ? अगर किसी बच्चे को ऊपरी अहार न देकर पहले छह माह सिर्फ मॉ का दूध दिया जाये एवं दो वर्ष

ललितपुर से लोगों के कथन

तक उपयुक्त पूरक आहार के साथ लागातार स्तनपान कराया जाये तो कुपोषण को रोका जा सकता है। स्तनपान हमारे गॉवों का चलन बन गया है, यह अब हमेशा विद्यमान रहेगा।

डॉ श्याम प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सा.स्वा. केन्द्र बिरधा, ललितपुर ने बताया है कि 'इस प्रोजेक्ट के कारण बाह्यरोग विभाग में कुपोषण ग्रस्त बच्चों की संख्या कम हो रही है। समुदाय के लोग अब स्तनपान के फायदों से भलीभॉति परिचित हो गये हैं।'

कमल कुमारी बुंदेला, ए.एन.एम., प्रा.स्वा.के. बिरधा, ललितपुर ने कहा कि 'गॉव के बच्चे अब बीमार नहीं पड़ते उनको अब आसानी से (पहले जैसे) दस्त एवं निमोनिया नहीं होता । इन फायदों को देख माताऐं स्तनपान करवाने लगी हैं।'

मेहरबान सिंह यादव, प्रा.वि. शिक्षक, ग्राम दिदौरा, ललितपुर के अनुसार 'पहले गॉव में बीमारियों का बोझ काफी था पर अब प्रशिक्षित ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता और ए0न0म0 द्वारा अक्सर सुझावों एवं सलाह से ऐसा नहीं है, चीजें प्रतिदिन बहतर हो रहीं हैं।

अंजना चौबे, आशा कार्यकत्री, बिरधा ब्लाक, ललितपुर – अपने गॉव की एक मॉ के जीवन में लाए बदलाव को बताने में गर्व महसूस करती है । उसने कहा ''मैनें लगातार दस दिन तक मालिश के द्वारा

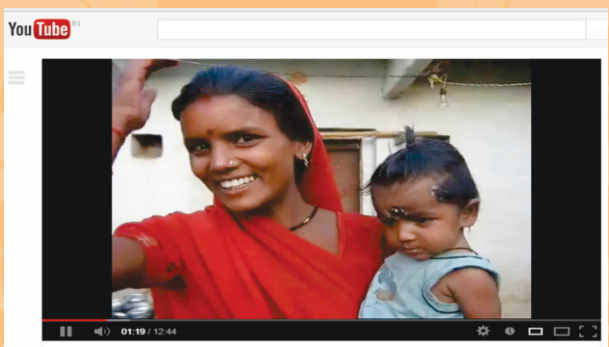

https://www.youtube.com/watch?v=2eClOjiOeCo

स्तनों में सूजन खत्म करने एवं दूध उतारने में उसकी मदद की। वह दस दिन के बाद खुद दूध पिलाने लग गयी क्योंकि उसकी छातियों तबतक बहुत मुलायम हो गयी। बच्चा अब दो साल का है और अभी भी स्तनपान कर रहा है।'

भारत सरकार की प्रतिबद्धता

भारतीय योजना आयोग के बारह वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भी स्तनपान तथा शिशु एवं छोटे बच्चों के अहार के लिये सहयोग की जरूरत है अतएव समेकित बाल विकास योजना पुर्ननिर्माण प्लान, नाजुक उम्र समूह (तीन वर्ष से कम), गर्भवती महिलाओं एवं माताओं पर ज्यादा जोर देता है। शीघ्र बालवृद्धि के लिये तीन वर्ष से छोटे बच्चों की माताओं को बच्चों की देखभाल एवं सही पोषण की आवश्यकता के परामर्श एवं सीखाने पर जोर देता है। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं को उपयुक्त रूप से पुर्नभाषित किये जाये जिसमें माता–पिता एवं सामुदायिक शिक्षा समेकित बाल विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को सम्मलित करने पर जोर दिया जाए।

शिशु दुग्ध विकल्प (आई.एम.एस.) आहार बोतलें एवं शिशु आहार (उत्पान आपूर्ति एवं वितरण विनियमन एक्ट 1992 (आई.एम.एस. एक्ट) स्तनपान की रक्षा एवं इसको बढ़ावा देने के लिए लोगों को शिशु आहार उद्योग के वाणिज्यक असर से बचाने के लिये बनाया गया है।) यह कानून समाज को उद्योग जगत के अनुचित गतिविधियों के प्रचार पर नियंत्रण रखने एवं जबावदेही निर्धारित करने का मौका प्रदान करता है, परन्तु उसके पश्चात् भी हमारे देश में इस कानून का उल्लंघन हो रहा है, स्तनपान के बचाव एवं बढ़ावे के लिए हमें इस कानून का उचित रूप से लागू करने की जरूरत है।

भूतपूर्व मानव संशाधन विकास मंत्री स्व. श्री अर्जुन सिंह के अनुसार '' ..... गलत एवं अनुपयुक्त आहार शैलियों शिशु कुपोषण, रोगों एवं बाल मृत्यु का कारण है। शिशु दुग्ध विकल्प एवं संबधित उत्पाद जैसे दूध पीने की बोतलों एवं निप्पलों का बढ़ावा एक स्वास्थ्य समस्या है। शिशु दुग्ध विकल्पों एवं सबन्धित उत्पादों का विज्ञापन मॉ के दूध एवं स्तनपान की खूबियों की जानकारी की अपेक्षा ज्यादा विस्तृत एवं व्यापक रहा है। एवं स्तनपान दरों की गिरावटों का कारण भी है। स्तनपान के बचाव, बढ़ावा एवं सहयोग के लिए मजबूत हस्तक्षेप के न होनें की सूरत में यह गिरावट खतरनाक रूप ले सकती है जिससे लाखों शिशुओं में संक्रमण, कुपोषण एवं मृत्यु का खतरा बढ़ जाएगा .....

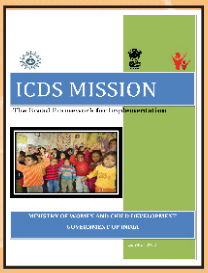

आई.सी.डी.एस मिशन दस्तावेज 2012 पारस्परिक संचार, प्रबल गृह संपर्को एवं उचित वैज्ञानिक शिक्षा द्वारा ग्राम अभियानों में उपयुक्त शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रीयों के महत्तव पर जोर देता है। उपर्युक्त जन जागरण संबध ग्राम अभियानों में पोषण परामर्शदाता पर्यवेक्षकों एवं निकटतम कार्यकर्ताओं की ज्ञानवृद्धि एवं कौशल वृद्धि पर जोर देता है। शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार प्रथाओं में निपुण संस्थान जैसे कि बी.पी.एन.आई. को भी इससे जोड़ा जाएगा।

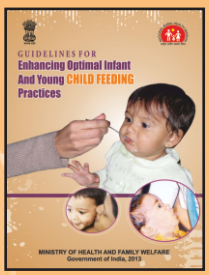

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दिशानिर्देश '' शिशु और छोटे बच्चों के उपयुक्त आहार प्रथाओं को बढ़ाना'' भी माताओं के सामुदायिकत पहुँच तथा गृह स्तरीय देखभाल पद्धतियों तथा पारंपरिक परामर्श एवं समूह परामर्श को उपयुक्त शिशु एवं छोटे बच्चों की आहार में सुधार का मुख्य तरीका मानता है। ये दिशा–निर्देश सामुदायिक परामर्शदाताओं को बनाने एवं उन्हें ''शिशुओं एवं छोटे बच्चों के आहार परामर्श : एक ट्रेनिंग / प्रशिक्षण पाठ्यक्रम'' 'एक में चार' प्रशिक्षण पाठ्यक्रम'' द्वारा प्रशिक्षण करने की सिफारिश करता है। (स्तनपान, पूरक आहार, एच.आई.वी. एवं शिशु आहार तथा विकास की निगरानी के लिए एक एकीकृत पाठ्यक्रम)।

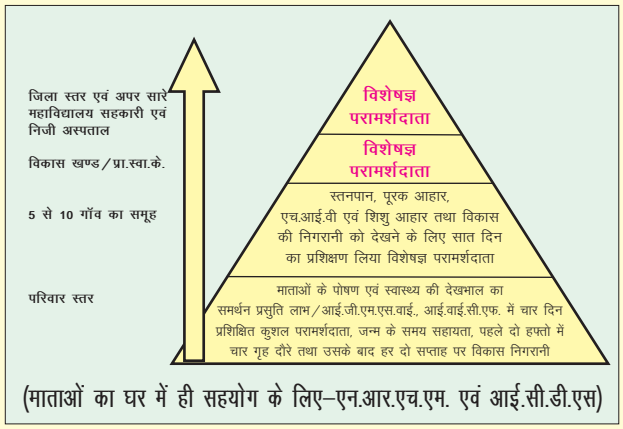

अभियान के लिए क्रिया योजना :–

माताओं के लिए प्राकृतिक एवं आपातकालीन स्थितियों में परिवार, समुदाय, कार्यस्थल स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र एवं कानूनी सहायता अनिवार्य है, ऐसा संभव करने के लिए हमें सारी गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक जिम्मेदार समुदाय की तरह प्रतिज्ञा लेनी होगी क्यों कि वे उस समय सबसे संवेदनशील स्थिति में होती हैं।

1. ''माताओं की मदद करें'' की एक याचिका विकसित करें एवं सौ या अधिक हस्ताक्षर लेकर जिला कलेक्टर या राजनीतिक दल अधिकारियों को प्रस्तुत करें।
2. लोगों में माताओं को स्तनपान के लिए सहयोग से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने समुदायों में एक रैली या नुक्कड़ नाटक का आयोजन करें।
3. 10 से 20 माताओं का साक्षात्कार कर एक आकलन करें कि ''सहयोग माताओं के कितने करीब हैं'' और सरकार तथा मीडिया के बताएं।
4. अपने अस्पताल / स्वास्थ्यक केन्द्र / परियोजना क्षेत्र / मोहल्ले / वाह्यरोग विभाग / संसाधन केन्द्रों में एक स्थानीय बैठक का आयोजन करें एवं ''ललिपुर वीडियो'' सभी को दिखलाएँ।
5. स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को शामिल करें एवं इस विषय पर चित्रकारी / पेंटिग / वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें।

विश्व स्तनपान सप्ताह 2013 के दौरान के कार्यकलापों को बी.पी.एन.आई को बताए जिससे विश्व स्तनपान सप्ताह पुरूस्कार के लिए पात्र हो सकें तथा कार्य का व्यापक प्रचार कर सकें।

Cover painting by : BFA Painting , Delhi College of Art, Delhi University
Compiled by: Nupur Bidla
Edited by: Dr. Arun Gupta, Dr. JP Dadhich and Dr Rita Gupta
Designed by: Amit Dahiya

Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI)
Asia Regional Coordinating Office for IBFAN South Asia Regional Focal Point for WABA
Address: BP-33, Pitampura, Delhi 110 034. *Tel:* +91-11-27343608, 42683059.
Tel/Fax: +91-11-27343606. *Email:* bpni@bpni.org. *Website:* www.bpni.org

हिन्दी अनुवाद द्वारा : डॉ. के.पी. कुशवाहा
प्रधानाचार्य, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर (उ0प्र0)
Email: komal.kushwaha@gmail.com , bpni.up@gmail.com
(सहयोग–डॉ0 गिरीश भट्ट, डॉ0 संजीव कुमार, एम्स, भोपाल)

SOURCES: BPNI'S WBW 2013 ACTION FOLDER ENGLISH VERSION